**UPJS010042072021**

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।**

**उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा**

J. O. CODE N0. U. P. 05983

CNR NO UPJS01- 004207- 2021

**सत्र वाद सं०- 640 सन 2021**

**सरकार बनाम विकेश आदि**

अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी. भा०द०सं०
एवं ३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
अ०सं०- ५८ सन२०२१
थाना- सदर बाजार, जिला झाँसी।

**आदेश**

**दिनांकः०८- ११- २०२१**

**१-** पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **विकेश, अयोध्या प्रसाद** एवं **श्रीमती शशि** न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित। उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

**२-** अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के दोष को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

**३.** मैने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

**४.** उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मै इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्तगण **विकेश, अयोध्या प्रसाद** एवं **श्रीमती शशि** पत्नी **अयोध्या प्रसाद** ने धारा अ०धा०- ४९८ए/ ३४ ३०४बी/ ३४ भा०द०सं० एवं ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा ३०२ / ३४भा०द०सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

**५.** अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्तगण **विकेश, अयोध्या प्रसाद** एवं **श्रीमती शशि** पत्नी **अयोध्या प्रसाद** को धारा अ०धा०- ४९८ए/ ३४, ३०४बी/ ३४. भा०द०सं० एवं ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा ३०२/ ३४ भा०द०सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक २२- ११- २०२१ को पेश हो। अभियुक्तगण जरिये बी०सी० उपस्थित हों।

**( जयतेन्द्र कुमार )**

**दिनांकः०८- ११- २०२१** **अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।**

Digitally signed by Jaitendra kumar
Date: 2021.11.08 17:00:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

# न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

**उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा**

**J. O. CODE N0. U. P. 05983**

**CNR NO UPJS01- 004207- 2021**

**सत्र वाद सं०- 640 सन 2021**

**सरकार बनाम विकेश आदि**

अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी. भा०द०सं०
एवं ३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
अ०सं०- ५८ सन२०२१
थाना- सदर बाजार, जिला झाँसी।

## आरोप

मैं जयतेन्द्र कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी आप अभियुक्तगण **विकेश, अयोध्या प्रसाद** एवं **श्रीमती शशि** के विरूद्व निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ -

१- यह कि दिनांक ०४- ०५- २० को वादी सुनील कुमार की बहन श्रीमती खश्बू का विवाह आप विकेश कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होने के उपरांत से दिनांक १५- ०६- २१ के मध्य बहद स्थान ससुराल मृतका स्थित खिरकपटटी अन्तर्गत थाना सदर बाजार जिला झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप लोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में एक राय होकर वादी मुकदमा की बहन खुश्बू को मारपीट कर अतिरिक्त दहेज के रूप में दो लाख रूपये की मांग कर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनायें देकर क्रूरता कारित की। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा. द. सं. की धारा **४९८ए/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

२- यह कि उपरोक्त दिनांक को वादी मुकदमा की गर्भवती बहन खुश्बू का आप विकेश के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होने के उपरांत आपलोगों ने सामान्य आशय के अग्र सारण में एक राय होकर दिनांक १५- ०६- २०२१ को दो लाख रूपये की अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुये मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार किया तथा दिनांक १५- ०६- २१ को समय ००- ०० रात वादी की बहन को विवाह के सात वर्ष के अन्दर फांसी लगाकर मारकर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित कर दहेज मृत्यु कारित की। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा. द. सं. की धारा **३०४बी/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

३- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपलोगों ने वादी मुकदमा की गर्भवती बहन खुश्बू से दो लाख रूपये के रूप में अतिरिक्त दहेज की मांग कर क्रूरता कारित कर प्रताड़ित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा **४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

## वैकल्पिक आरोप

४- यह दिनांक १५- ०६- २०२१ को समय ००- ०० बजे बहद स्थान खिरकपटटी अन्तर्गत थाना सदर बाजार जिला झाँसी के क्षेत्राधिकार में आपलोगों ने सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा सुनील कुमार की गर्भवती बहन श्रीमती खुश्बू को दहेज के लिए

मारपीट कर  फांसी लगाकर हत्या करने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आपका यह कृत्य भा०द०सं०  की धारा **३०२/ ३४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपलोगों यह निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप के लिए आपलोगों विचारण न्यायालय द्वारा किया जाये।

**( जयतेन्द्र कुमार )**

**दिनांकः०८- ११- २०२१** **अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।**

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिसे उन्होने अस्वीकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

**( जयतेन्द्र कुमार )**

**दिनांकः०८- ११- २०२१** **अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।**